न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 6/2019

उनवान

रामप्रताप पुत्र हंगामा जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद
-- प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
-- अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 14.8.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके परिवार की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बूबानिया तहसील नसीराबाद में आस्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 1766 रकबा 0.4850 हेक्टेयर है। प्रार्थी व उसके परिवारजन उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नही है। किन्तु प्रार्थी व उसके परिवारजन अपनी उक्त खातेदारी खेतों पर आने–जाने के लिये सिवायचक खसरा नम्बर 1760 रकबा 1.20 का उपयोग करते है। प्रार्थी के पास अपनी जोत तक पहुचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थी को सिवायचक खसरा नम्बर 1760 रकबा 1.20 में से 30 फुट चौडा रास्ता दिया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का खसरा नम्बर 1766 बूबानिया से मोतीपुरा मार्ग से 84 मीटर दूर स्थित है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान में आवागमन हेतु सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1760 का उपयोग किया जा रहा है। अन्य कोई रास्ता मौके व राजस्व अभिलेख में उपलब्ध नही है। सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1760 में से 10 मीटर चौडा व 76 मीटर लम्बे कुल 760 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी। मार्ग हेतु किसी अन्य खातेदार की भूमि नही ली जानी है। चाहे गये मार्ग की डी0एल0सी0 दर से राशि 12696/ रूपये बनती है। मौके पर प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग विधमान नही है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपने खेतों पर आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। खसरा नम्बर 1766 रकबा 0.4850 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:18:10 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम बूबानिया के सिवायचक खसरा नम्बर 1760 में सें 10 मीटर चौडा व 76 मीटर लम्बा कुल 1760 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त आराजी की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 25392/ अक्षरे पच्चीस हजार तीन सौ बारनवे रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

(जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:18:10 IST
Reason: SelfAttested